न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2024/672

1. ओमप्रकाश पुत्र प्रभूदयाल,
2. दाताराम पुत्र बल्लूराम,
3. पूरण पुत्र प्रभूदयाल,
4. भीमसिंह पुत्र बल्लूराम,
5. मामराज पुत्र प्रभूदयाल,
6. रामेश्वर पुत्र श्योनाथ,
7. रोहताश पुत्र प्रभूदयाल,
8. लक्ष्मी देवी पत्नी प्रभूदयाल,
9. सुरज्ञान पुत्र प्रभूदयाल, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सुजापुर, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

––रेस्पोडेन्ट

2. धर्मपाल पुत्र बल्लूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सुजापुर, तहसील विराटनगर जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री बंशीधर जाट, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

दिनांकः 20.04.2026

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिवर प्रभारी विराटनगर जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.07.2023 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में तहसीलदार विराटनगर जयपुर द्वारा रास्ते सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम सुजापुर के खसरा नम्बर 147, 148 पर मौके पर चालू डामर सड़क को राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के विपरीत पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल कारित की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार विराटनगर की रिपोर्ट निर्णय की दिनांक 05.07.2023 को ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की आदेशिका नही लिखी गई,, ना ही नोटिस जारी किये गये, रिपोर्ट प्राप्त करते ही अधीनस्थ न्यायालय ने पद व शक्तियों का

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दुरूपयोग करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि एक फर्द मौका रिपोर्ट सामुहिक तौर पर पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व ग्राम पंचायत सरपंच की ओर से बनाई गई, जो भी एक साईक्लोस्टाई प्रोफार्मा में है। जिसमें ग्रेवल सड़क का उल्लेख किया गया है तथा पेन से मौक पर डामर सड़क बनी हुई है, उल्लेख किया गया, जो दिनांक 23.05.2023 को तैयार करना बताया गया है। इसी प्रकार की एक रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई है, जो भी दिनांक 23.05.2023 को तैयर की गई है। इस प्रकार समस्त कार्यवाहीया एक ही दिन में एक ही रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्ति विशेष को लॉभ पहूँचाने की नियत से तैयार कर सम्पूर्ण कार्यवाही पोशिदा रूप से की गई, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही रही। दिनांक 27.11.2024 को ग्राम घटवाडी में अपीलान्ट द्वारा फव्वारा सैट लेने हेतु आवेदन के साथ जमाबन्दी की प्रति लगाने पर जानकारी हुई। उसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 27.11.2024 को आवेदन करने पर व नकल प्राप्त होने पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है तथा विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से पेश किया गया है जो न्यायहित में स्वीकार फरमाया जावें। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलाधीन आराजी खसरा नम्बर 147, 148 अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि है। उक्त निर्णय से अपीलान्ट के हित व अधिकार प्रभावित हो रहे है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत दिया न्यायहित में आवश्यक है। ऐसे में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील के समस्त तथ्यों को मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (शिवर प्रभारी) विराटनगर जिला जयपुर हाल कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2023 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंषा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के खातेदारान एवं प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होने के कारण अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी.स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपर/उच्च न्यायालयो की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अपीलार्थीगण प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना नोटिस जारी किये एवं उन्हे बिना सुनवाई का अवसर दिया ही एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के अन्तर्गत प्रावधित प्रावधानों व न्यायिक प्रक्रिया की बिना पालना किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2023 पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता। ऐसे में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) विराटनगर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के अन्तर्गत प्रावधित प्रावधानों के अनुसरण में न्यायिक प्रक्रिया के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(वे.सरवण कुमार)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।